

Allocation
Chishu

पत्रांक :-3/यो.1-03/2025(उ0शि0).....07/04/25

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

रामनिवास यादव (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 15/04/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न पोर्टल (08 पोर्टल) निर्माण के पश्चात् एक वर्ष के लिए होस्टिंग चार्ज के रूप में रू0 1,36,80,000/- (एक करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 05/बजट दिनांक 11.04.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न पोर्टल (08 पोर्टल) निर्माण के पश्चात् एक वर्ष के लिए होस्टिंग चार्ज के रूप में रू0 1,36,80,000/- (एक करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष- "मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष- BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थाना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड-21S220203102BS010679) (स्कीम कोड-2107) के अंतर्गत होगा।"

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो राशि की निकासी कर JAP-IT, Ranchi को उपलब्ध करायेंगे।

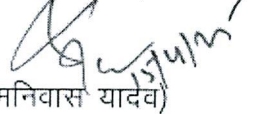
5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 05/बजट दिनांक 11.04.2025 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

8

ज्ञापांक-3/यो.1-03/2025(उ0शि0) 07/04/25 / रॉची, दिनांक- 15/04/2025
प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, हिनू, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास योदध)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-03/2025(उ0शि0) 07/04/25 / रॉची, दिनांक- 15/04/2025
प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा
के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, रॉची/
Officer on Special Duty, JAP-IT, Ranchi / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

8



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO1-03/2025/07/BUDGET

दिनांक - 15-Apr-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BS010679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BS - निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं 01-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली में कक्षा का संचालन, नैक प्रियाश्रम अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र एवं चित्त रहित महाविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) State Scheme State Scheme : FREE & DISTANCE EDUCATION, COACHING CENTER, WORKSHOP, CONSULTANCY, SECOND Central Scheme : SHIFT CLASSES, NAAC, RESEARCH, INCUBATION CENTER AND GRANTS-IN-AID TO VITTA RAHIT, COLLEGES(2107)	9896	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 	13,680,000.00 रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार

योग: रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार

13,680,000.00

(RAMNIWAS YADAV)

DIRECTOR